प्रेषक,

कार्यालय : जनपद न्यायाधीश, कासगंज ।

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज के स्वीकृत आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय, मामों कासगंज परिसर में स्थिति तीन छोटे आम के बागों की दो फसल नीलामी दिनॉक 26.07.2021 को समय 04.30 बजे जनपद न्यायालय कासगंज के भूतल पर स्थित मीटिंग हॉल में सम्पादित की जायेगी , इच्छुक व्यक्ति समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं । ठेके का विवरण एवं शर्तों के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय कासगंज से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

जनपद न्यायालय परिसर, कासगंज में स्थित तीन आम के छोटे बागों की दो फसल नीलामी दिनॉक 01.08.2021 से दिनॉक 31.07.2023 तक ठेके की नीलामी हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्तें समिति द्वारा निर्धारित की जाती हैं :–

1. ठेके की अवधि केवल दो फसल हेतु दिनॉक 01.08.2021 से दिनॉक 31.07.2023 तक के लिए होगी एवं पिछले ठेके की स्वीकृत धनराशि में बीस प्रतिशत की धनराशि को जोड़ते हुए कुल धनराशि को सरकारी बोली माना जायेगा ।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया जायेगा ।
3. ठेके की धनराशि का 1/4 भाग ठेका स्वीकृति के समय जमा करना होगा शेष 1/4, भाग माह अक्टूबर 2021 में जमा करना होगा तथा शेष 1/4, भाग माह जनवरी 2022 में एवं शेष 1/4 भाग माह अप्रैल 2022 में जमा करना होगा ।
4. प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने से पूर्व अंकन 5,000/–रूपये जमा करना होगा तथा साथ में अपना आई0डी0 प्रूफ प्रस्तुत करना होगा ।
5. बोली बोलने वाला व्यक्ति काली सूची के अन्तर्गत न आता हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी प्रकार कोई मामला विचाराधीन हो ।
6. बोली स्वीकृति अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, माननीय जनपद न्यायाधीश, कासगंज के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गए ठेके के धनराशि के मूल्य के जमानतपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0–31/एस दिनॉकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार ठेकेदार को ठेका स्वीकृति के पश्चात् मुव0 1,00/– रूपये का स्टाम्प पेपर लाना होगा और अनुबन्धपत्र निष्पादित करना होगा ।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
कासगंज ।

दिनॉक : 19.07.2021

System Officer to comply

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

1. जिला सूचना अधिकारी, कासगंज को जी0ओ0 सं0–562/19–02–2007 –107 (टी0सी0) दिनॉकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचारपत्रों में निः शुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित ।
2. 18, न्यायालय कक्ष भवन, जजी कासगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित ।
3. कलैक्ट्रेट कासगंज के सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु ।
4. समस्त सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किये जाने हेतु ।
5. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को जनपद न्यायालय कासगंज एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के बेवसाइट पर अपलोड़ किये जाने हेतु ।

20.7.21

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
कासगंज ।

दिनॉक : 19.07.2021